भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 864
दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

फर्जी नौकरी की भर्ती की पेशकश

864. श्री प्रमोद तिवारीः
श्री एस. कल्याणसुन्दरमः
श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्लाः
डा. किरोड़ी लाल मीणाः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में फर्जी नौकरी की भर्ती का प्रस्ताव देने वालों में शामिल संदिग्ध आईटी कंपनियों ने भारतीय युवाओं को नौकरी का लालच देकर उन्हें थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया आदि सहित विदेशी देशों में बंधक बना लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे विदेश में ऐसे फर्जी नौकरी के प्रस्तावों के बारे में मीडिया और अन्य माध्यमों से भारतीय नागरिकों को सावधान किया है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रस्तावों के जाल में फंसे भारतीय युवाओं की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय युवाओं को उनके चंगुल से बचाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) मंत्रालय के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं जहां फर्जी भर्ती नौकरी प्रस्तावों में संलिप्त संदिग्ध आईटी कंपनियां भारतीय युवाओं को थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया सहित विदेशों में नौकरी की पेशकश करती हैं।

(ग) मंत्रालय समय–समय पर फर्जी जॉब रैकेट के बारे में परामर्शी और सोशल मीडिया पोस्ट जारी करता है। इसी तरह की सूचनाएं विदेश स्थित संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइटों, सोशल मीडिया हैंडल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी जारी की गई हैं। जुलाई 2022 से, भारतीय नागरिकों को फर्जी रोजगार रैकेट में फंसाए जाने की जानकारी मिलने पर थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया में हमारे मिशनों ने रोजगार चाहने वालों को सचेत करने के लिए विभिन्न विस्तृत परामर्शी जारी की हैं और उन्हें

रोजगार प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले भर्ती एजेंटों और कंपनियों के सभी पूर्ववृत्त सत्यापित करने और इन देशों में कपटपूर्ण रोजगार प्रस्तावों के प्रलोभन में न आने और इनमें न फंसने की सलाह दी है।

(घ) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार म्यांमार में फर्जी आईटी नौकरी घोटाला फर्मों द्वारा 414 भारतीयों को फंसाए जाने की जानकारी मिली थी। 292 लोगों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया है। कंबोडिया में हमारे मिशन ने स्थानीय कंबोडियाई प्राधिकारियों के सहयोग से 180 से अधिक ऐसे फंसे हुए भारतीय नागरिकों को बचाया है और उन्हें सफलतापूर्वक भारत वापस पहुंचाया है।

(ङ) जब भी अवैध एजेंटों द्वारा नौकरी चाहने वाले लोगों के शोषण के मामले सामने आते हैं, मंत्रालय विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों और भारत में उत्प्रवासी संरक्षक कार्यालयों के साथ समन्वय करते हुए त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करता है। ई–माइग्रेट पोर्टल पर 2,548 अवैध एजेंटों की सूची अधिसूचित की गई है। पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर यह जानकारी नियमित रूप से अद्यतन की जाती है। विभिन्न माध्यमों से भारतीय युवाओं को झूठे भर्ती प्रस्तावों में लुभाने वाले अवैध एजेंटों और संदिग्ध आईटी फर्मों के विरुद्ध शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से साझा किया जाता है ताकि दोषियों पर वर्तमान कानूनों के तहत उचित कार्रवाई की जा सके।

*****